



राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी  
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग  
नासिन कॉम्प्लेक्स, सैक्टर - 29, फरीदाबाद - 121008  
National Academy of Customs, Indirect Taxes & Narcotics  
Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue  
NACIN Complex, Sector - 29, Faridabad - 121008  
फोन/Telephone: 0129-2504652-54  
फैक्स/Fax: 0129-2504632

(ई-मेल के माध्यम से)

फा.सं. NACIN/TRNG/IST/OTH/39 /2021

दिनांक: .08.2021

Madam/Sir,

**विषय:- नासिन, फरीदाबाद द्वारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के ग्रुप 'A' एवं ग्रुप 'B' के अधिकारियों के लिए "Refund and Duty Drawback under Customs" विषय पर दिनांक 31.08.2021 को प्रातः 10:30 AM से अपराह्न 01:15 PM तक ऑनलाइन प्रशिक्षण के संबंध में।**

ड्यूटी ड्रॉबैक पर सीवीसी द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट में निहित सिफारिश पर कार्य योजना के एक भाग के रूप में, राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी (नासिन) को शेड एवं ड्यूटी ड्रॉबैक अनुभाग में तैनात अधिकारियों के लिए सीमा शुल्क कानूनों और प्रक्रियाओं के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए सौंपा गया है।

2. राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी, फरीदाबाद द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2021 को (प्रातः 10:30 AM से अपराह्न 01:15 PM) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के ग्रुप "ए" एवं ग्रुप 'B' अधिकारियों के लिए "Refund and Duty Drawback under Customs" विषय पर ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए अनुरोध है कि उक्त प्रशिक्षण हेतु अधिकारियों को नामित करते समय शेड एवं ड्यूटी ड्रॉबैक अनुभाग में पदस्थापित समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों वरीयता दी जाए।

3. अतः यह अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए सीबीआईसी के ग्रुप 'ए' एवं ग्रुप 'B' के अधिकारियों को नामित किया जाये। नामांकन केवल अधोलिखित **EXCEL** प्रोफॉर्म में ही भेजे जाये। **PDF** फोरमेट में दिये गए नामांकनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

Sr. No	Name of the Officer	Employee ID	Designation	Place of Posting	Zone	Mobile No.	Email ID (in capital letters)
--------	---------------------	-------------	-------------	------------------	------	------------	-------------------------------

4. नामांकन सकारात्मक रूप से दिनांक 26 अगस्त, 2021 साँय 5 बजे तक केवल ई-मेल के माध्यम से ई-मेल आईडी- [NOMINATION.ISTNACIN@GMAIL.COM](mailto:NOMINATION.ISTNACIN@GMAIL.COM) पर भेजे जा सकते हैं। वेब- प्लैटफॉर्म, वेब- लिंक एवं ऑनलाइन सत्र में भाग लेने संबंधित अन्य निर्देश, नामांकित अधिकारियों की ई-मेल आईडी पर भेज दिये जाएंगे। अधिकारी साँझा किए गए लिंक पर क्लिक कर के प्रशिक्षण सत्र में भाग ले पाएंगे। उपर्युक्त प्रशिक्षण सत्र से संबंधित किसी भी जानकारी हेतु श्री राजेश कुमार गुप्ता, अपर सहायक निदेशक (Mob. 9013171249) एवं श्री हरकिशन मीना, अपर सहायक निदेशक (Mob. 9818282468) से संपर्क किया जा सकता है।

भवदीय,  
Digitally Signed by Rachna  
Tanwar  
Date: 17-08-2021 12:17:35  
Reason: <sup>(रचना तंवर)</sup> Approved  
संयुक्त निदेशक

प्रतिलिपि प्रेषण:

1. सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क
2. सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क
3. प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक (सीबीआई के तहत सभी निदेशालय)
4. मुख्य विभागीय प्रतिनिधि, सीईएसटीएटी, नई दिल्ली
5. सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीमा शुल्क
6. सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क
7. सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त, लेखापरीक्षा आयुक्तालय
8. सीबीआईसी एवं नासिन वेबसाईट





राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी  
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग  
नासिन कॉम्प्लेक्स, सेक्टर - 29, फरीदाबाद - 121008  
National Academy of Customs, Indirect Taxes & Narcotics  
Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue  
NACIN Complex, Sector - 29, Faridabad - 121008  
फोन/Telephone: 0129-2504652-54  
फैक्स/Fax: 0129-2504632

(By E-mail)

F. No. NACIN/TRNG/IST/OTH/39/2021

Dated .08.2021

Madam/Sir,

**Subject: Online training on "Refund and Duty Drawback under Customs" on 31<sup>st</sup> August, 2021 from 10:30 AM to 01:15 PM -reg.**

As a part of Action Plan on recommendation contained in the report by CVC appointed Committee on Duty Drawback, National Academy of Customs, Indirect Taxes & Narcotics (NACIN) has been assigned to organise specific training to Customs Laws and procedures for officers posted at Shed and Duty Drawback Sections.

2. National Academy of Customs, Indirect Taxes & Narcotics (NACIN), Faridabad is organizing an online training for Group 'A' and Group 'B' officers of CBIC on "**Refund and Duty Drawback under Customs**" on 31<sup>st</sup> August from 10:30 AM to 01:15 PM. In view of the above, it is requested that while nominating the officers for the above training, the officers of Group 'A' and 'B' posted at Shed and Duty Drawback Section shall be given preference.

3. It is requested to nominate Group "A" and Group 'B' officers of CBIC for the said online training. The details of participants may please be sent in the following table in **EXCEL** format only. Nominations received in PDF format shall not be entertained.

Sr. No	Name of the Officer	Employee ID	Designation	Place of Posting	Zone	Mobile No.	Email ID (in capital letters)
--------	---------------------	-------------	-------------	------------------	------	------------	-------------------------------

4. Details of the nominated officers may please be sent by **26<sup>th</sup> August, before 5 PM** to this office by **email only** at **EMAIL ID: [NOMINATION.ISTNACIN@GMAIL.COM](mailto:NOMINATION.ISTNACIN@GMAIL.COM)** with the captioned subject in the subject field of the email. Details of the web-platform, web-link and appropriate instructions for participation in the online training will be sent directly to the participants by e-mail and they can participate in the online training by simply clicking on the link at the designated time. In case of any query/difficulty, Shri Rajesh Kumar Gupta, Addl. Assistant Director (Mob: 9013171249) and Shri H. K. Meena, Addl. Assistant Director (Mob. 9818282468) may please be contacted.

Yours faithfully,

(Rachna Tanwar)  
Joint Director

To

1. The Pr. Chief Commissioners/ Chief Commissioners of Customs (All)
2. The Pr. Chief Commissioners/ Chief Commissioners of CGST & Central Excise (All)
3. The Pr. Director General / Director General (All Directorates General under CBIC)
4. The Chief Departmental Representative, CESTAT, New Delhi
5. The Pr. Commissioners/ Commissioners of Customs (All)
6. The Pr. Commissioners / Commissioners of CGST & Central Excise (All)
7. The Pr. Commissioners/ Commissioners of Audit Commissionerate (All)
8. CBIC & NACIN Website